



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

**Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.**

A Public University established under Uttar Pradesh State University Act 1973

पत्रांक : प्रोरासिविवि/पनिका/मूल्यांकन (विषम सेमे.) / 2025-26-023

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

सेवा में,

समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय/अनुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय,

सम्बद्ध— प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

**विषय:** सत्र 2025-26 के विभिन्न पाठ्यक्रम की सम्पन्न हुई विषम सेमेस्टर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।  
महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रम की विषम सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2025-26 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ हो रहा है:-

| दिनांक     | पाठ्यक्रम                                                                   | समय                                       | विशेष निर्देश                                                                  | स्थान                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 22.01.2026 | <u>परास्नातक</u><br>1. गणित<br>2. आधुनिक एवं मध्यकालीन इतिहास<br>3. वाणिज्य | सुबह 10:00 बजे<br>से सायं 05:00<br>बजे तक | निर्धारित अवधि में ही<br>परीक्षक निर्गत उ०पु०<br>का मूल्यांकन पूर्ण कर<br>लें। | परीक्षा भवन,<br>विश्वविद्यालय परिसर,<br>नैनी। |

अतएव यह अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का मूल्यांकन कार्य हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।  
विश्वविद्यालय के मूल्यांकन कार्य में सहयोग हेतु शिक्षक अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अवश्य लायें।

1. अनुमोदन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
2. गूगल (रजिस्ट्रेशन फार इवेलुएशन) फार्म दो प्रतियों में।
3. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति।
4. सैलरी स्टेटमेंट की छायाप्रति।
5. शिक्षकों का कम से कम 100 उ०पु० के मूल्यांकन करने के उपरान्त ही उस दिन का दैनिक भत्ता मान्य होगा।
6. टीचर रजिस्ट्रेशन फार्म की छायाप्रति।
7. स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षक अपने अनुभव प्रमाण पत्र को सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अवश्य लायें।

**नोट:-**

1. स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षक का विश्वविद्यालय से अनुमोदन तथा कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
2. जो शिक्षक मूल्यांकन कार्य हेतु गूगल फार्म पर पंजीकरण करा चुके हैं, वे ही मूल्यांकन कार्य हेतु उपस्थित हों।
3. प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र की मूल एवं छायाप्रति साथ लायें।

भवदीया,

प्रो०(विनीता यादव)

परीक्षा नियंत्रक

**प्रतिलिपि** – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा० कुलपति जी।
2. वित्त अधिकारी।
3. प्रो० राजकुमार गुप्त, मुख्य मूल्यांकन समन्वयक।
4. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की उक्त पत्र को समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परीक्षा नियंत्रक